

संख्या: 2821-अस-17/राविप/98-118118एफ/86

दिनांक: अप्रैल 23, 1998.

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद आदेश संख्या 2271-राविप/अस-17/96-11848एफ/86 दिनांक 10.7.96 के आतिश्रमण में एम.आर.आई टेस्ट कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नि प्रतिबन्धों के साथ परिषद सहर्ष स्वीकृत करती है :-

- 11 पूर्व की भांति एम.आर.आई स्कैन परिषद में सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं उनपर पूर्णरूप से आश्रित पारिजनों के लिए अनुमन्य होगी।
- 22 एम.आर.आई.स्कैन के लिए प्रदेश में लखनऊ स्थित श्रीला मेमोरियल हास्पिटल ही अधिकृत प्राइवेट संस्थान होगा जिसकी संलग्न दरें परिषद द्वारा मान्य गई हैं।
- 33 एम.जी.पी.जी.आई. या किसी अन्य सरकारी संस्थान से एम.आर.आई. कराने पर वास्तविक दर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
- 44 किसी अन्य संस्थान/प्रदेश से बाहर से एम.आर.आई.स्कैन कराने पर परिषद द्वारा अनुमोदित दर पर ही प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
- 55 एम.आर.आई.स्कैन की प्रतिपूर्ति के आदेश पूर्व की भांति परिषद मुख्यालय ही किये जायेंगे।
- 66 अधिकृत चिकित्सक- एम.आर.आई.स्कैन के संदर्भ हेतु अधिकृत चिकित्सक स्तर के होंगे:-
मेडिकल कालेज/एम.जी.पी.जी.आई. के प्रोफेसर स्तर के, सरकारी चिकित्सक संस्थान के प्रोफेसर स्तर के, विशेषज्ञ, प्रजे के/राज्य विद्युत परिषद के मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 77 यह रेट केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष

संख्या: 2821-अस-17/राविप/98, तददिनांक:

प्रतिनोपे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 उर्जा मंत्री/उर्जा राज्य मंत्री के निजी सहायक।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
3. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाच समिति, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, 30 प्र0 रा0 वि0 प0, शांति भवन, लखनऊ।
6. समस्त वारेण्ट कार्रमिक अधिकारी/कार्रमिक अधिकारी, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
8. समस्त अधीक्षासी अभियन्ता, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
9. परिषद मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
10. परिषद के समस्त मान्यता प्राप्त चिकित्साभूयों को।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्यालय, 30 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शांति भवन, लखनऊ।

अज्ञा से,

श्रीला मेथी प्रैरयल होस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर लि०,
कुर्सी रोड, लखनऊ।
=====

इनवेस्टीगेशन का नाम	मूल्य (रुपये में)
एम. आर. आर्इ. हेड/सी. वी. जे०	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ. थोरे कस्त/डी. स्पाइन	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ. नेक/सी. स्पाइन	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ. एबडोमिनल/ एल. एस. एव डी. एल. स्पाइन	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ. पेलोविस	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ. गस्कुलो-स्के लिट्रल	रु. 3800/-
एम. आर. आर्इ.- एन्जियो	रु. 3800/-
एक्सट्रा रोजन प्रत्येक	रु. 2000/-
कन्ट्रास्ट इन्जेक्शन 10 एम. एल.	रु. 2000/-
कन्ट्रास्ट इन्जेक्शन 20 एम. एल.	रु. 4000/-